कोडीन कफ सिरप की पाबंदी के लिए एफएसडीए ने केंद्र को भेजे 6 प्रस्ताव

लखनऊ। नशे के रूप में इस्तेमाल हो रहे कोडीनयुक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए प्रदेश के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने केंद्र सरकार को दवा वितरण व्यवस्था में व्यापक बदलाव के सुझाव भेजे हैं।

विभाग की जांच में सामने आया कि कोडीनयुक्त कफ सिरप की बड़ी मात्रा की बिलिंग तो हो रही थी, लेकिन संबंधित उत्पाद अधिकृत खुदरा बाजार तक नहीं पहुंच रहे थे। इससे इनके चिकित्सकीय उपयोग के बजाय गैर-चिकित्सकीय

थोक से थोक बिक्री पर रोक और डिजिटल ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू करने की पैरवी

इस्तेमाल और व्यावसायिक डायवर्जन की आशंका सामने आई। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए विभाग ने निर्माताओं से लेकर थोक विक्रेताओं तक पूरी सप्लाई चेन को नियंत्रित करने के उपाय सुझाए हैं। एफएसडीए सचिव एवं आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने केंद्रीय मंत्रालय को भेजे पत्र में छह प्रमुख नियामकीय प्रस्तावों पर शीघ्र निर्णय लेने और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का प्रस्ताव दिया गया है। विभाग का जोर है कि कोडीनयुक्त सिरप की आपूर्ति केवल स्थापित और अधिकृत वितरण चैनलों से हो तथा प्रत्येक खेप की आवाजाही का रिकॉर्ड संबंधित राज्य के पास उपलब्ध रहे। प्रस्तावों में निर्माता कंपनियों के लिए यह व्यवस्था भी सुझाई गई है कि कोडीनयुक्त कफ सिरप और अन्य नियंत्रित दवाओं की खेप भेजने से पहले संबंधित राज्य के ड्रग कंट्रोलर को अनिवार्य रूप से सूचना दी जाए। इसी तरह टीबी की दवाओं की तर्ज पर कोडिन सिरप की डिजिटल ट्रैकिंग की जाए। ब्यूरो

punjab national bank ... name you can BANK upon!

पंजाब नैशनल बैंक ... भरोसे का प्रतीक

एआरएमबी वाराणसी– एस 20/56– डी केनेडी रोड, द माल, कैण्ट, वाराणसी – 221002 (उ0प्र0). ई–मेल: cs8331@pnb.bank.in

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफ़ेसी अधिनियम, 2002) के तहत सर्वसाधारण को

ई–नीलामी की सूचना

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) एवं / या 9 (1) के साथ पढ़ी जाती है।

इसके द्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी चार्ज की गई है, जिसका रचनात्मक/भौतिक/प्रतीकात्मक कब्जा उसके द्वारा ले लिया गया है। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता को अपने बकाया की वसूली के लिए नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि पर **''जहां है जैसे है'' और ''जो है जैसा है'' और ''जो कुछ भी वहाँ है''** पर बेचा जाएगा। संबंधित उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (गारंटरों) से बैंक / सुरक्षित ऋणदाता को देय। आरक्षित मूल्य और बयाना राशि संबंधित संपत्तियों के सामने नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित होगी।

अचल सम्पत्ति एवं सुरक्षित प्रतिभूतियों का विवरण

क्र0 सं0	उधारकर्ता का खाता / शाखा का नाम	सम्पत्ति का विवरण	बकाया राशि दिनांक 31.10.2026 तक 13(2) की दिनांक 13(4) की दिनांक कब्जे का प्रकार (भौतिक/सांकेतिक)	आरक्षित मूल्य अग्रिम धनराशि (रू0 में) बृद्धिगीत धनराशि अग्रिम धनराशि जमा करने की अन्तिम तिथि	निलामी हेतु दिनांक एवं समय	सुरक्षित लेनदार को ज्ञात स्वभारों का विवरण
1.	**ऋणी/बंधककर्ता: 1. श्रीमती निरंजना श्रीवास्तव पत्नी राहुल श्रीवास्तव,** पताः 23ए, कस्तूरबा मार्केट, ओबरा, रावर्ट्सगंज, सोनभद्र, यूपी– 231216 **जमानतकर्ता: श्रीमती शिल्पी श्रीवास्तव पत्नी श्री कनिष्क श्रीवास्तव,** निवासी 23ए, कस्तूरबा मार्केट, ओबरा, रावर्ट्सगंज, सोनभद्र, यूपी 231216 **शाखा: एआरएमबी वाराणसी (833100)**	सामयिक बंधक की भूमि आराजी संख्या 484, मौजा–देवाधिकला, तप्पा 84, परगना– कांति, तहसील– मधियान, जिला– मिर्जापुर, विलेख संख्या 851 दिनांक 29.05.2008 के अनुसार, जो जिला– मिर्जापुर में बुक संख्या 1, खंड संख्या–478, पृष्ठ 62 से 96 पर पंजीकृत है, क्षेत्रफल: 25950.00 वर्ग मीटर यानी 2.5920 हेक्टेयर, मालिक: श्रीमती शिल्पी श्रीवास्तव, पत्नी श्री कनिष्क श्रीवास्तव, **चौहद्दी विलेख के अनुसार: पूर्व:** चक रोड, **पश्चिम:** आराजी संख्या 482, **उत्तर:** आराजी संख्या 484 का शेष भाग, **दक्षिण:** आराजी संख्या 488	**रू0 1,12,66,368.82** + ब्याज के साथ दिनांक 01.11.2026 से प्रभारी + डीआई एवं अन्य शुल्क लगे हुये, घटाकर वसूली, यदि कोई हो 15.05.2021 24.12.2021 सांकेतिक	1,39,75,000/- 13,97,500/- 1,00,000/- 02.12.2026 सायं 04:00	03.12.2026 11:00 AM to 04.00 PM	कुछ नहीं

नियम एवं शर्तें :– बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों और शर्तों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी। 1. संपत्तियां **''जहां है जैसे है'' और ''जो है जैसा है'' और ''जो कुछ भी वहाँ है''** के आधार पर बेची जा रही है। 2. यहां ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्‌घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 3. बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट **https://baanknet.com** पर उपलब्ध ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऊपर लिखे दिनांक व समय के अनुसार की जायेगी तथा बोलीकर्ताओं को सलाह दीजाती है कि नीलामी में भाग लेने के लिए वेबसाईट **https://baanknet.com** पर रजिस्टर करें। 4. बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया देखें **https://baanknet.com** और **www.pnbindia.in/ या श्री रूद्र नन्द, मुख्य प्रबंधक, प्राधिकृत अधिकारी (मोबाइल नंबर–9204057664) एवं वरिष्ठ प्रबंधक श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव (7355172362) से सम्पर्क करें।**

नोट : विवाद की स्थिती में अंग्रेजी अंक प्रकाशन ही मान्य होगा।

दिनाक:13.11.2026, स्थान: वाराणसी सरफ़ेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8 (6) एवं / या 9 (1) के तहत वैधानिक बिक्री सूचना **प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक**

punjab national bank ... name you can BANK upon!

पंजाब नैशनल बैंक ... भरोसे का प्रतीक

एआरएमबी वाराणसी– एस 20/56– डी केनेडी रोड, द माल, कैण्ट, वाराणसी – 221002 (उ0प्र0). ई–मेल: cs8331@pnb.bank.in

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफ़ेसी अधिनियम, 2002) के तहत सर्वसाधारण को

ई–नीलामी की सूचना

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) एवं / या 9 (1) के साथ पढ़ी जाती है।

इसके द्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी चार्ज की गई है, जिसका रचनात्मक/भौतिक/प्रतीकात्मक कब्जा उसके द्वारा ले लिया गया है। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता को अपने बकाया की वसूली के लिए नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि पर **''जहां है जैसे है'' और ''जो है जैसा है'' और ''जो कुछ भी वहाँ है''** पर बेचा जाएगा। संबंधित उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (गारंटरों) से बैंक / सुरक्षित ऋणदाता को देय। आरक्षित मूल्य और बयाना राशि संबंधित संपत्तियों के सामने नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित होगी।

अचल सम्पत्ति एवं सुरक्षित प्रतिभूतियों का विवरण

क्र0 सं0	उधारकर्ता का खाता / शाखा का नाम	सम्पत्ति का विवरण	बकाया राशि दिनांक 31.10.2026 तक 13(2) की दिनांक 13(4) की दिनांक कब्जे का प्रकार (भौतिक/सांकेतिक)	आरक्षित मूल्य अग्रिम धनराशि (रू0 में) बृद्धिगीत धनराशि अग्रिम धनराशि जमा करने की अन्तिम तिथि	निलामी हेतु दिनांक एवं समय	सुरक्षित लेनदार को ज्ञात स्वभारों का विवरण
1.	**ऋणी: (1) मेसर्स लक्ष्मी इंटरप्राइजेज प्रोपराइटर: अवधेश चंद्र चतुर्वेदी पुत्र बद्री प्रसाद चतुर्वेदी, पता: 1263, पक्का पोखरा, हुसैनाबाद, सदर जौनपुर, यूपी 222002, 2) श्री अवधेश चंद्र चतुर्वेदी पुत्र बद्री प्रसाद चतुर्वेदी, पता:** 1263, पक्का पोखरा, हुसैनाबाद, सदर जौनपुर, यूपी 222002 **जमानतकर्ता/बंधककर्ता:– 1) श्रीमती विजय लक्ष्मी चतुर्वेदी पत्नी श्री अवधेश चंद्र चतुर्वेदी पुत्र बद्री प्रसाद चतुर्वेदी, पता:** 1263, पक्का पोखरा, हुसैनाबाद, सदर जौनपुर, यूपी 222002 **शाखा: एआरएमबी वाराणसी (833100)**	सामयिक बंधक की आवासीय सम्पत्ति आराजी संख्या 663मि, मकान नं0 1263 (पुराना 673), मोहल्ला–हुसैनाबाद, परगना–हवेली, तहसील–सदर, जिला– जौनपुर में स्थित, क्षेत्रफल 600 वर्ग फुट यानी 55.76 वर्ग मीटर, बिक्री विलेख संख्या 9737 दिनांक 17.12.2015 के अनुसार, जो उप–पंजीयक सदर –जौनपुर के कार्यालय में पुस्तक संख्या 1, खंड 6258, पृष्ठ 235 से 258 पर पंजीकृत, (मालिक: श्रीमती विजय लक्ष्मी चतुर्वेदी पत्नी श्री अवधेश चंद्र चतुर्वेदी), **चौहद्दी (विलेख के अनुसार): पूर्व:** खड़ंजा रोड, **पश्चिम:** अरविंद कुमार, अरुण कुमार और अखिलेश चंद्र के मकान का शेष भाग, **उत्तर:** राजेश श्रीवास्तव का मकान, **दक्षिण:** विनोद कुमार, प्रमोद कुमार और अनिल कुमार के मकान का शेष भाग	**रू0 53,78,483.14** + अतिरिक्त ब्याज के साथ दिनांक 01.11.2026 से लागू एवं अन्य शुल्क प्रभारी 14.06.2021 16.03.2022 सांकेतिक	29,73,000/- 2,97,300/- 50,000/- 02.12.2026 सायं 04:00	03.12.2026 11:00 AM to 04.00 PM	कुछ नहीं
2.	**ऋणी: 1– मेसर्स गौतम बिल्डर्स (प्रोपराइटर श्री राज कुमार सिंह), 2– श्री राज कुमार सिंह पुत्र श्री रण विजय सिंह (प्रोपराइटर: मेसर्स गौतम बिल्डर्स),** **पता:–** सभी निवासी रि 1/32–1–ए, जय नगर कालोनी, गिल्ट बाजार, वाराणसी यू.पी. –221002 **जमानतकर्ता: 1– श्री रण विजय सिंह पुत्र स्व0 सरजू सिंह, 2– श्रीमती सुमन सिंह पत्नी श्री राज कुमार सिंह** **पता:–** सभी निवासी रि 1/32–1–ए, जय नगर कालोनी, गिल्ट बाजार, वाराणसी यू.पी. –221002 **शाखा: एआरएमबी वाराणसी (833100)**	(1) सामयिक बंधक की अचल सम्पत्ति आवासीय मकान नं0 रि–9/147, आराजी नं0 276, मौजा और मोहल्ला–शुद्धीपुर, वार्ड एवं परगना– शिवपुर, तहसील और जिला–वाराणसी में स्थित, विलेख नं0 6462 दिनांक 30.09.2014 बुक नं0 –1 में, खण्ड नं0 6612, पृष्ठ सं0 71 से 108, सब–रजिस्ट्रार चतुर्थ, जिला– वाराणसी कार्यालय में पंजीकृत, क्षेत्रफल (पंजीकृत विक्रय विलेख के अनुसार): 3060 वर्ग फुट यानी 284.38 वर्ग मीटर, मालिक/बंधककर्ता : श्री रण विजय सिंह पुत्र स्वर्गीय सरजू सिंह, **चौहद्दी (विक्रय विलेख के अनुसार) : पूर्व–** 6 फीट चौड़ी बजरी वाली सड़क, फिर अमरनाथ आदि की बाउंड्री वाल, **पश्चिम–** गौतम रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड की भूमि, **उत्तर–** जयप्रकाश पुत्र प्यारेलाल का मकान, **दक्षिण–** वीरेंद्र पटेल का मकान । (2) सामयिक बंधक की अचल संपत्ति (भूमि) आराजी नंबर 188/1 मि, मौजा– शुद्धिपुर, वार्ड एवं परगना– शिवपुर, तहसील और जिला– वाराणसी में स्थित, विलेख नं0 2596 दिनांक 28.04.2015 के तहत बुक नं0– 1, खण्ड नं0– 6965, पेज 385 से 420 जो सब–रजिस्ट्रार चतुर्थ, जिला– वाराणसी के कार्यालय में पंजीकृत है, क्षेत्रफल (विक्रय विलेख के अनुसार पंजीकृत): 5467 वर्ग फीट यानी 508.08 वर्ग मीटर, मालिक/बंधककर्ता : श्रीमती सुमन सिंह पत्नी श्री राज कुमार सिंह, **चौहद्दी विलेख के अनुसार (विक्रय विलेख के अनुसार पंजीकृत) : पूर्व–** नीलम की भूमि, **पश्चिम–** 12 फीट चौड़ा बजरी वाला रास्ता, **उत्तर–** आराजी नंबर 171, विक्रेताओं की भूमि और प्रजापति आदि की सीमा, **दक्षिण–** आराजी का भाग प्लाट अन्य शेयरधारक	(1) सम्पत्ति–1 **रू0 63,93,814.34** + अतिरिक्त ब्याज के साथ दिनांक 01.11.2026 से प्रभारी + डीआई एवं अन्य लगे शुल्क वसूली घटाकर 30.03.2026 06.06.2026 सांकेतिक सम्पत्ति–2	(1) सम्पत्ति–1 1,01,50,000/- 10,15,000/- 1,00,000/- 02.12.2026 सायं 04:00 सम्पत्ति–2 1,60,05,000/- 16,00,500/- 1,00,000/- 02.12.2026 सायं 04:00	03.12.2026 11:00 AM to 04.00 PM	कुछ नहीं
3.	**ऋणी: 1) मेसर्स अमर कंस्ट्रक्शन कंपनी (प्रोप्राइटर श्री अमरजीत यादव पुत्र श्री बेचन यादव), पता–1:–** ग्राम व पोस्ट धराव, धानापुर, चंदौली, यूपी–232105, **पता–2:–** धराव, चहनिया, सकलडीहा, चंदौली, यूपी–232105 ऋणी/जमानतकर्ता: **श्री अमरजीत यादव पुत्र श्री बेचन यादव (प्रोप्राइटर: मेसर्स अमर कंस्ट्रक्शन कंपनी), पता:–** ग्राम और पोस्ट धराव (बमनपुरा) धानापुर, चंदौली, यूपी–232105 **जमानतकर्ता/बंधककर्ता: श्रीमती सरिता मिश्रा पत्नी श्री कमलापति मिश्रा, पता:–** एन 10/70 एफ 8–ए, न्यू कालोनी, ककरमत्ता, वाराणसी, यूपी–221004 **जमानतकर्ता/बंधककर्ता: श्रीमती सरिता मिश्रा पत्नी श्री कमलापति मिश्रा, पता:–** ग्राम व पोस्ट भवानीपुर, थाना चुनार, जिला मिर्जापुर, यूपी–231304 **शाखा: एआरएमबी वाराणसी (833100)**	सामयिक बंधक की आवासीय सम्पत्ति (भूमि एवं भवन) आराजी संख्या 533/2, मौजा– ककरमत्ता, वार्ड– नगवां, परगना देहात अमानत, तहसील व जिला वाराणसी में स्थित, माप क्षेत्रफल 2040 वर्ग फुट, पुस्तक सं0 1 द्वारा, खण्ड नं0 1424, पेज 39 से 60, दस्तावेज संख्या 2274, दिनांक 19.07.2002 को सब रजिस्ट्रार कार्यालय–चतुर्थ, वाराणसी में पंजीकृत, मालिक श्रीमती सरिता मिश्रा पत्नी श्री कमलापति मिश्रा, **चौहद्दी (विलेख के अनुसार): पूर्व–** 8 फुट चौड़ा कच्चा रास्ता, **पश्चिम–** संतोष कुमार यादव का घर, **उत्तर–** राधेश्याम और शिव अग्रवाल का घर, **दक्षिण–** गंगा लाल का घर। **नोट: (I)** उपरोक्त विवरणों को दिनांक 29.07.2002 को 'तिलिमा विलेख संशोधन के माध्यम से सुधार किया गया है, जो बुक संख्या 1, खण्ड संख्या 1445, पृष्ठ 129 से 132 पर दर्ज है, दस्तावेज संख्या 2647, दिनांक 09.08.2002 एवं तिलिमा विलेख दिनांक 21.11.2008 के माध्यम से जो बुक संख्या 1, खण्ड संख्या 3478, पृष्ठ 1 से 12 पर दर्ज है दस्तावेज संख्या 4530, दिनांक 21.11.2008 को सब रजिस्ट्रार कार्यालय–चतुर्थ, वाराणसी में पंजीकृत है।, **(II)** नगर निगम वाराणसी द्वारा दि0 26.02.2004 को जारी किए गए पीले कार्ड के माध्यम से मकान नंबर एन 10/70– एफ–8 ए आवंटित किया गया है।	**रू0 1,93,29,322.08** + ब्याज के साथ दिनांक 01.11.2026 से प्रभारी + डीआई एवं अन्य शुल्क लगे हुये, घटाकर वसूली, यदि कोई हो 05.07.2024 10.09.2024 सांकेतिक	1,04,40,000/- 10,44,500/- 1,00,000/- 02.12.2026 सायं 04:00	03.12.2026 11:00 AM to 04.00 PM	कुछ नहीं

नियम एवं शर्तें :– बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों और शर्तों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी। 1. संपत्तियां **''जहां है जैसे है'' और ''जो है जैसा है'' और ''जो कुछ भी वहाँ है''** के आधार पर बेची जा रही है। 2. यहां ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्‌घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 3. बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट **https://baanknet.com** पर उपलब्ध ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऊपर लिखे दिनांक व समय के अनुसार की जायेगी तथा बोलीकर्ताओं को सलाह दीजाती है कि नीलामी में भाग लेने के लिए वेबसाईट **https://baanknet.com** पर रजिस्टर करें। 4. बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया देखें **https://baanknet.com** और **www.pnbindia.in/ या श्री रूद्र नन्द, मुख्य प्रबंधक, प्राधिकृत अधिकारी (मोबाइल नंबर–9204057664) एवं वरिष्ठ प्रबंधक श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव (7355172362) से सम्पर्क करें।**

नोट : विवाद की स्थिती में अंग्रेजी अंक प्रकाशन ही मान्य होगा।

दिनाक:12.11.2026, स्थान: वाराणसी सरफ़ेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8 (6) एवं / या 9 (1) के तहत वैधानिक बिक्री सूचना **प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक**